

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226605
SG-DL-E-15042021-226605

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/ चैत्र 22, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 12
No. 128]	DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/ CHAITRA 22, 1943	[N. C. T. D. No. 12

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

xg %ifyl&2% foHkx

vf/k lpuk

दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

Lk- Qk-@2@1@1988@xg ifyl&2@[k.M&A@1131-34.-चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19@04@2021 to 18@07@2021 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,
एल.के. गौतम, उप-सचिव (गृह-2)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th April, 2021

No. F.2/1/88-HP-II/ Pt.-I/1131-34.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/04/2021 to 18/07/2021** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
L.K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-II)